न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-88/2017

महिपालसिंह पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

--अपीलान्ट---

---बनाम---

1- सरियादेवी पत्नी सुलतानसिंह
2- सुमेरसिंह पुत्र सुलतानसिंह
3- पवनकुमार पुत्र सुलतानसिंह

जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

4- पार्वती पुत्री सुलतानसिंह पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल आबाद बापडोली तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ

5- सन्तरा पुत्री सुलतानसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी खानपुर हाल आबाद देवलावा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना ।

7- उप पंजीयक बुहाना ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-5-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक बुहाना ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्रीमति पूनम डूडी एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री राजेन्द्र बुडानिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 15.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खानपुर में आराजी जमाबन्दी सं0- 2069 से 2072 के खाता संख्या-140 खसरा नं0 19 रकबा 1.52 हैक्टर, ख0नं0 20 रकबा 0.82 हैक्टर, ख0नं0 21 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 4.76 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 6.38 हैक्टर में वादी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।जिस में वादी का 1/6 व प्रतिवादी सं0-1 से 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है । जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है ।किन्तु प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करते हैं।उन्हे खाता विभाजन कहा तो उन्होने मना कर दिया । जिस पर वादी ने यह दावा पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर दावा डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर वादी/ये अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने दिनांक 21-10-2016 को दावे में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के आदेश दिये जिस पर तहसीलदार बुहाना ने कुरेजात तैयार किये जो सही न बनाकर अपीलान्ट का जिस भूमि पर कब्जा था उस पर कब्जा न दिखा कर विभाजन प्रस्ताव में गलत दी है। जिस पर अपीलान्ट ने आपत्ति पेश की किन्तु अदालत मातहत ने आपत्ति पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-5-17 को निरस्त कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से पुनः अपीलान्ट की उपस्थिति मे तैयार कर मंगावाये जाने के आदेश दिये जावे । प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तैयार किये है जो मौके के विपरित तैयार कर भिजवाये है । अपीलान्ट अपने 1/6 हिस्से पर मौके पर काबिज है उसके विपरित मौके पर हिस्सा दिया है ।जिसकी मैने आपत्ति की जिसे अदालत मातहत ने बिना किये आदेश पारित कर विधि के विपरित निर्णय पारित किया है । अतः अपीलाट की अपील स्वीकार कर प्रकरण अदालत मातहत का रिमाण्ड किया जावे जिसमें अदालत मातहत को निर्देशित किया जावे कि वह मौके पर अपीलान्ट की मौजूदगी में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । तहसीलदार ने मौके पर मौके के अनुसार पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है । उन पर आपत्ति लेकर आपत्ति का निस्तारण करने के बाद अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2069 से 2072 में विवादित आराजी की खातेदारी सन्तान पुत्र सुखराम के नाम दर्ज है ।खातेदार सुन्तान के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर नामान्तरकरण सं0302 दिनांक 22-9-2014 से सुलतान के बजाय सरिया देवी पत्नी सुलतान, महीपालसिंह, सुमेरसिंह, पवनकुमार पि0 सुलतान, पर्वती, सन्तरा पुत्रीयां सुलतान के नाम दर्ज हुई ।मुताबिक जमाबन्दी उक्त आराजी में अपीलान्ट का तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 5 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्स हुआ ।तहसीलदार ने मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार

कर भिजवाये । विभाजन प्रस्ताव के आधार पर मजमें आम में सरपंच ग्राम पंचायत की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित किया है । जिस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं । अदालत मातहत का निर्णय विधि संगत है ।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-5-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.11.2017 को सुनाया गया ।

(भवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर